तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
14/7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....17/07/25..... को पत्रावली पेश हो।	
17/7/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खाता संख्या 530 व 36 प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में अंकित है। हमने हमारी भूमियों की मेड पर पेड–पौधे लगाकर तारबंदी कर रखी है व वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी की भूमि के समीप खसरा संख्या 553 गैर–मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके दूसरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रभावशाली व्यक्ति होने से प्रार्थीगण की भूमियों पर जबरन रास्ता निकाल कर भूमि का स्वरूप नष्ट करना चाहते है उनकों पाबंद किया जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर तहसीलदार हिण्डोली के यहॉ से राजस्व टीम का गठन कर अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे, परन्तु पुलिस जाप्ता नहीं मिलने के कारण अतिक्रमण नहीं हटने से प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा किसी भी भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। वकील अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील प्रार्थीगण के कथन किया कि कौनसे हिस्से पर अतिक्रमण हो रहा है यह स्पष्ट नहीं है केवल एक तरफ	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की सीमा नपवाई है, खसरा संख्या 559 की तरफ से कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ है ये केवल प्रभावशाली व्यक्ति होने से जबरन दखलदांजी कर रहे है।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 35, 36 वाके ग्राम सैलादांता में स्थित है, जो कि प्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 35, 36 वाके ग्राम सैलादांता पटवार मण्डल देवा का खेडा में स्थित है, जो कि प्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि व अप्रार्थी 2 के खाते की भूमि के मध्य खसरा संख्या 553 गैर–मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में दखलदांजी बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर केवल मौखिक कथन किए गए है, जिससे की प्रार्थीगण का प्रकरण प्रमाणित नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बन रहा है।
2. <u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 35, 36 वाके ग्राम सैलादांता पटवार मण्डल देवा का खेडा में स्थित है, जो कि प्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि व अप्रार्थी 2 के खाते की भूमि के मध्य खसरा संख्या 553 गैर–मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में दखलदांजी बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर केवल मौखिक कथन किए गए है, जिससे की प्रार्थीगण का प्रकरण प्रमाणित नहीं होने से व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	3. अपूर्णीय क्षति की संभावना विवादित भूमि खाता संख्या 35, 36 वाके ग्राम सैलादांता पटवार मण्डल देवा का खेडा में स्थित है, जो कि प्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि व अप्रार्थी 2 के खाते की भूमि के मध्य खसरा संख्या 553 गैर–मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने से प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना बन रही है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	